




DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI

Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018



DSRDS

Ref : DSRDS-DELHI/2018/NO. 18-22

Date : 22/06/2018

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

सेवा में,

श्री इमरान हुसैन जी,

माननीय खाद्य मंत्री,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,

दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002



विषय:-दिल्ली में, खाद्य एवम संभरण विभाग द्वारा उचित दर दुकानों पर अनुचित तरीके से कार्यवाही ना करने के सन्दर्भ में.

महोदय,

दिल्ली में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून-2013,के तहत दिल्ली की उचित दर दुकानों पर ई-पोस मशीन/ बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण जनवरी-2018 से शुरू किया गया। बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से राशन कार्डधारी या राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्यों का अंगूठे/ उंगलियों के निशान को EPOS मशीन में आधार सर्वर से सत्यापित होने के बाद ही राशन दिया जाता था, बायोमेट्रिक फैल होने पर दूसरा ऑप्शन आंखों को स्कैन करने का था , इस ऑप्शन के सफल होने पर भी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने का प्रावधान था।

इसके बाद राशन वितरण करने हेतु विभाग द्वारा मार्च -2018 में तीसरा ऑप्शन OTP(ONE TIME PASSWORD) का दिया गया। इस OTP ऑप्शन से राशन कार्ड उपभोक्ता के मोबाइल नम्बर पर जो OTP आता था , राशन दुकानदार उस OTP को EPOS मशीन में एंटी करके राशन कार्ड उपभोक्ता को राशन वितरण करने का प्रावधान था।


इसके अलावा पोर्टेबिलिटी के तहत दिल्ली के राशन कार्डधारी को दिल्ली की किसी भी राशन दुकान से राशन लेने का अधिकार प्राप्त था दिल्ली सरकार तथा खाद्य एवं संभरण विभाग के नियमानुसार ही दिल्ली के उचित दर दुकानदारों ने अपने निजी नेटवर्क का प्रयोग कर जनवरी से अप्रैल-2018 तक EPOS मशीन के माध्यम से राशन वितरण किया.

Rahul

Dt. 22/06/18
Secretary of the Ministry
Food & Civil Supplies
Environment & Forest and Election
Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat
I.P. Road, New Delhi-110002



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI



Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018

DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. _____

Date : _____

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238830

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAMI

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213


लेकिन अब विभाग के अधिकारी OTP पर आधारित राशन वितरण किये गये राशन उपभोक्ताओं की घर घर जाकर भौतिक जांच कर रहे हैं। इस जांच के दौरान जो राशन कार्डधारी राशन कार्ड में दिये गये पते पर नहीं मिलता अर्थात् राशन उपभोक्ता ने अपना निवास स्थान बदल लिया है तो विभाग के अधिकारी "NON TRACEBLE" या "NOT FOUNDING RESIDING" को बोगस/ फर्जी राशन कार्ड मानकर उनके राशन सामग्री को कालाबाजारी का नाम देकर राशन दुकानदारों को कार्यवाही का डर दिखाकर विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने हेतु नाजायज तरीके से वसूली कर रहे हैं अन्यथा दुकानदार के खिलाफ राशन दुकान के लाइसेंस को सस्पेंड/ कैंसिल / FIR जैसी कार्यवाही कर रहे हैं.

गौरतलब हो कि दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निम्न आय वाले व्यक्ति/परिवार जैसे किराएदार/ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले / दैनिक मजदूरी करने वाले या फैक्ट्री में मजदूरी करने वालों के राशन कार्ड बने हैं जो कि समय-समय पर मजबूरीवश अपने व्यवसाय के कारण अपना निवास स्थान बदल लेते हैं लेकिन खाद्य विभाग को इसकी सूचना नहीं देते. कई बार ऐसे उपभोक्ता अपना राशनकार्ड अपने दोस्त/रिश्तेदार/ या माकन मालिक को देकर अन्य जगह चले जाते हैं। ऐसे राशन कार्डों पर भी OTP के तहत राशन देने का प्रावधान था, जिसके तहत विभागीय नियमानुसार राशन दुकानदारों ने OTP प्रणाली का प्रयोग करके राशन वितरण किया। राशन उपभोक्ता के मूल निवास की जानकारी रखना राशन दुकानदार के अधिकार में नहीं है और ना ही राशन दुकानदार की यह जिम्मेवारी है कि राशन उपभोक्ता कब और किस समय अपना निवास स्थान बदल लेता है इसकी पूर्ण जानकारी रखे और विभाग को सूचित करे.

उपरोक्त वर्णित विषय पर विचार करते हुए दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश का कहना है कि जबतक राशन कार्डधारी अपना राशन ना मिलने का बयान स्वतः अधिकारियों के समक्ष लिखित में नहीं देता है तबतक मात्र शक की बुनियाद पर कार्डधारी को मार्च-2018 में OTP के माध्यम से वितरित राशन को कालाबाजारी का नाम देना अनुचित है तथा दुकानदारों के खिलाफ आधारहीन कार्यवाही करना भी अनुचित होगा.



DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI



Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com

Website : www.dsrdsdelhi.com

Registration No. : S/3097/SDM/NW/2018

DSRDS

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. _____

Date : _____

SHIV KUMAR GARG

President

9212567435

JAGDISH PRASHAD

Sr. Vice President

9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL

Vice-president

9810630323

SHYAM SUNDAR

Vice President

9911178848

SUNIL SHARMA

Vice President

9310023180

MANOJ SHARMA

Vice President

9582203929

HARI KRISHAN (LILU)

Vice-President

9212442834

SITARAM

Gen. Secretary

9312238850

RAJNEESH SHARMA

Secretary

9818569678

SAURABH GUPTA

Secretary

9810943745

MATLOOB ALAM

Secretary

9818946781

MANJEET KAUR

Secretary

9210565722

RAHUL AGGARWAL

Treasurer

9871420213

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश को आपसे आशा ही नहीं, पुर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त विषय पर संज्ञान लेते हुए इस सन्दर्भ में जल्द से जल्द उचित आदेश पारित कर दिल्ली के उचित दर दुकानदारों को विभाग द्वारा प्रताडित किये जाने से बचाएंगे.

Shiv Kumar Garg
22/06/2018

शिव कुमार गर्ग

अध्यक्ष-दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ-दिल्ली प्रदेश

मोब :- 9212567435

प्रतिलिपी:-

1. श्री अमिल बैजल जी, IAS, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली.
2. श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली.
3. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली सरकार, दिल्ली.
4. श्री अंशु प्रकाश, IAS, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र -दिल्ली सरकार, दिल्ली.

Received
22-6-18
21-4-25
Office of Chief Secretary
Govt. of NCT of Delhi